2023 का विधेयक संख्यांक 120

[दि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (17) के उपखंड (vii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 2017 का 13

"(vii) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित आनलाईन धनीय गेम खेलने को छोड़कर आनलाईन गेम खेलना ;"। 2017 का 12

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक में, "परंतु" शब्द के पश्चात् ", परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा यथा अधिसूचित से भिन्न" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(गक) जब माल की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को की जाती है, पूर्ति का स्थान खंड (क) या खंड (ग) में अतंर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी जारी बीजक में अभिलिखित उक्त व्यक्ति के पते के अनुसार अवस्थिति और बीजक में उक्त व्यक्ति का पता अभिलिखित न होने पर पूर्तिकार की अवस्थिति पूर्ति का स्थान होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, बीजक में उक्त व्यक्ति के राज्य के नाम के अभिलेखन को उक्त व्यक्ति के पते का अभिलेखन समझा जाएगा ;"।

नई धारा 14क का अंतःस्थापन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित व्यक्ति द्वारा पूर्ति किए गए विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के लिए विशेष उपबंध ।

"14क. (1) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2 के खंड (80ख) में यथापरिभाषित आनलाईन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार, जो कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित नहीं है, उसके द्वारा कराधेय राज्यक्षेत्र में व्यक्ति को आनलाईन धनीय गेम खेलने की पूर्ति के संबंध में ऐसी पूर्ति पर एकीकृत कर का संदाय करने का दायी होगा । 2017 का 12

(2) उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने के प्रयोजनों के लिए आनलाईन धनीय गेम खेलने वाला पूर्तिकार इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सरलीकृत रजिस्ट्रीकृत स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा :

परंतु कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिए ऐसे पूर्तिकार का प्रतिनिधित्व करने वाला कराधेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण करेगा और ऐसे पूर्तिकार के निमित्त एकीकृत कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि यदि ऐसे पूर्तिकार की कराधेय राज्यक्षेत्र में भौतिक उपस्थिति नहीं है या उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो वह एकीकृत कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए कराधेय राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा ।

(3) आनलाईन धनीय गेम खेलने का पूर्तिकार या ऐसे पूर्तिकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या दोनों के द्वारा उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का

2000 का 21

अनुपालन करने में असफलता की दशा में, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे पूर्तिकार द्वारा आनलाईन धनीय गेम खेलने की पूर्ति में उपयोग किए गए कंप्यूटर संसाधन पर किसी सृजित, पारेषित, प्राप्त या होस्ट की गई किसी जानकारी के लिए पब्लिक द्वारा पहुंच को बंद किए जाने के लिए उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट रीति में दायी होगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माल और सेवाकर परिषद् (जीएसटी) ने अपनी 50वीं और 51वीं बैठक में केसिनो, घुड़दौड़ और आनलाईन गेम खेलने की कराधेयता के संबंध में एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 में कतिपय संशोधन करने की सिफारिश की, ताकि केसिनो, घुड़दौड़ और आनलाईन गेम खेलने की कराधेयता के संबंध में स्पष्टता का उपबंध किया जा सके ।

2. एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित का उपबंध करता है, अर्थात् :—

(i) अधिनियम की धारा 2 के खंड (17) का संशोधन करना जिससे आनलाईन सूचना और डाटा पहुंच या पुनः प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवाओं की परिभाषा से आनलाईन धनीय गेम खेलने को अपवर्जित किया जा सके ;

(ii) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के परंतुक का संशोधन करना जिससे ऐसे माल की आयात की दशा में, जो जीएसटी परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परंतुकों के अनुसार एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी) का उद्ग्रहण करना अपेक्षित न हो और उसका संग्रहण अंतरराज्य पूर्ति के रूप में अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किया जाए ;

(iii) अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करना जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जब माल की पूर्ति रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को की जाती है, तो जारी बीजक में अभिलिखित उक्त व्यक्ति के पते के अनुसार अवस्थिति और बीजक में उक्त व्यक्ति का पता अभिलिखित न होने पर पूर्तिकार की अवस्थिति पूर्ति का स्थान होगी ; और

(iv) अधिनियम में एक नई धारा 14क अंतःस्थापित करना जिससे भारत में अवस्थित किसी व्यक्ति को कराधेय राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा आनलाईन धनीय गेम खेलने की पूर्ति, जिसके अंतर्गत सरलीकृत रजिस्ट्रीकरण स्कीम के अधीन एकल रजिस्ट्रीकरण लेने की अपेक्षा सम्मिलित है ; ऐसी पूर्तियों पर एकीकृत कर का संदाय और ऐसे पूर्तिकार द्वारा आनलाईन धनीय गेम खेलने की पूर्ति में उपयोग किए गए किसी कंप्यूटर संसाधन पर सृजित, पारेषित, प्राप्त या होस्ट की गई किसी सूचना तक पब्लिक की पहुंच को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण और कर संदाय के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता पर विशेष उपबंध करने हेतु उपबंध करता है ।

3. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली,
9 अगस्त, 2023

निर्मला सीतारामन

वित्तीय ज्ञापन

एकीकृत माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2023 में भारत की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 13) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

* * * * *

(17) "आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं" से ऐसी सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिनका परिदान इंटरनेट पर सूचना प्रौद्योगिकी या किसी इलेक्ट्रानिक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है और जिसकी प्रकृति उनकी पूर्ति को आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में सुनिश्चित करना असंभव है तथा जिसके अन्तर्गत ऐसी इलेक्ट्रानिक सेवाएं आती हैं, जैसे,—

* * * * *

(vii) आनलाइन गेम खेलना;

* * * * *

कर का उद्ग्रहण और संग्रहण ।

5. (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 15 के अधीन अवधारित मूल्य पर मानव उपभोग के लिए मद्यसारिक पान की पूर्ति के सिवाय माल या सेवा या दोनों की समस्त अंतरराज्यिक पूर्तियों पर एकीकृत माल और सेवा कर नामक कर उद्गृहीत किया जाएगा और जो चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर होगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए और उसे ऐसी रीति में संगृहीत किया जाएगा, जो विहित की जाए और उसे कराधेय व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जाएगा:

परन्तु भारत में आयतित माल पर एकीकृत कर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन यथा अवधारित मूल्य पर उस बिन्दु पर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा, जब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उक्त माल पर सीमाशुल्क उद्गृहीत किया जाता है ।

1975 का 51

1962 का 52

* * * * *

अध्याय 5

माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति का स्थान

भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान ।

10. (1) भारत में आयातित या भारत से निर्यातित माल की पूर्ति से भिन्न माल की पूर्ति का स्थान निम्नलिखित रूप में होगा:—

* * * * *

(ग) जहां पूर्ति में माल का संचलन अंतर्वलित नहीं है, चाहे वह पूर्तिकार द्वारा हो या प्राप्तिकर्ता द्वारा, वहां पूर्ति का स्थान प्राप्तिकर्ता को परिदान के समय ऐसे माल का अवस्थान होगा;

* * * * *